

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
आदेश

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित निम्नांकित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को उनके अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम-...5... में अंकित जिला/प्रखंड में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	गृह जिला	प्रस्तावित पदस्थापन जिला/प्रखंड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती कुमारी (प्र० क० पदा०)	जिला कल्याण कार्यालय, वैशाली	दरभंगा	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, पटना।
2	श्री सुभाष चन्द्र राजकुमार, (प्र० क० पदा०)	जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर, प्रखंड-सन्धैला	-	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, जमुई।
3	श्री द्वारिका सिंह, (प्र० क० पदा०)	जिला कल्याण कार्यालय, जमुई	छपरा	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, भागलपुर।
4	श्रीमती रंजना कुमारी, (प्र० क० पदा०)	जिला कल्याण कार्यालय, भोजपुर	नालदा	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, पटना।
5	श्री विनीत कुमार, (प्र० क० पदा०)	जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा प्रखंड-किरतपुर	औरंगाबाद	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, जहानाबाद।


2- संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक-20.05.2015 तक निश्चित रूप से स्थानान्तरित स्थान पर योगदान समर्पित कर विभाग को सूचित की जाय अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

3- अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित उपरोक्त कर्मियों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

4- प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


5- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित कर्मियों के वेतन की निकासी मई 2015 से नये स्थानान्तरित स्थान पर होगी।

6- सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित कर्मियों को अविलंब विरमित कर दें ताकि वे 20.05.15 तक नये स्थानान्तरित स्थान पर योगदान दे सकें।


सरकार के अवर सचिव।
पटना, दिनांक-


ज्ञापांक-2/प्र०क०स्था० 30-13/2014-


प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना/
निदेशक/विशेष सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
पटना, दिनांक-15.05.15

ज्ञापांक-2/प्र०क०स्था० 30-13/2014-855

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/5/15


सरकार के अवर सचिव।